

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही का इतिहास व जज

नम्बर
अह
हुक्म

कार्यवाही अखिल अर्थन्यायी कोर्ट
द्वारा की गई बाबू लाल के कोर्ट नम्बर-19/2020

दिनांक- 23/10/20

22/10/20

पदावली पेश हुई पारिल उपायियों
विपरीत की और लेखी गयी। दीप, एच.वोकेट
द्वारा पदावली गवाह पेश किया। जिनमें उपाय
विपरीत धर्म पदावली दिनांक 23/10/20 का
पदावली है

23/10/20

पदावली पेश हुई सभी अधिवक्ता उपस्थित। प्राथी
ने यह प्रमाण पत्र 1955 की भाषा 251 A अधिनियम
सेरवा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत नया रास्ता मार्ग
दिलाने हेतु प्रस्तुत किया है। जो कि आराजी सेरवा
857 में से रास्ता पार गत।

प्रकरण में तदधीनकार से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक
रिपोर्ट तदधीनकार द्वारा आम इदला की आराजी
नम्बर 857 में से रास्ता लेने के लिए प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में मौरु दिला काना
नाबावकि. माता गीता इंडु पिता काना सोनिक,
मैना, टीना, अन्ना इतिहास काना नाबावकि. माता
गीता, गीता पति काना लेडी निवासी इदला के
नाम दर्ज रेकर्ड है। जिन्हें अपार्थी नहीं बनाया है।

अतः अधिनियम एवं विश्लेषण के परिणाम
स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संबंधित
रखतेदार से साक्षर नहीं बनाया है जो पेशगीर
नहीं होकर खरीज बिने जने योग्य होने से प्रार्थना
पत्र खारिज किया गया है।

पदावली नम्बर से धर्म की जाकर दाखिल
दफतर है।

हुक्म अखिल अर्थन्यायी कोर्ट